

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 158/2017

कैलाश माली बनाम अवर लाज पथरीक वगैरह

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 16/05/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री कैलाश माली ने जरिये अधीनस्थ श्री शशिभद्र शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम मानपुर तह0 मानपुर माण्डलगढ में आर.जी. न0 1439, 1452, 2197, 2198, 2209, 2229 किला 6 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आशंका के विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधीनस्थ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद कर शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया गया। ग्राम मानपुर की आराजी न0 1439, 1452, 2197, 2198, 2209, 2229 रकबा बीघा 9 बिस्वा 14 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाये। कमीशनर फीस 500/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

